भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत के प्रेस महापंजीयक का कार्यालय
9 वां तल, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003
https://prgi.gov.in/

वर्ष 2026 की परामर्शिका संख्या 20

दिनांक: 13.08.2026

****

विषय: डेस्क ऑडिट के माध्यम से परिचालन सत्यापन के लिए आवेदनों के संबंध में जारी 'कमियों की सूचना' का समयबद्ध अनुपालन

यह प्रेस सेवा पोर्टल पर डेस्क ऑडिट के माध्यम से नियतकालिक पत्रिकाओं के परिचालन सत्यापन के लिए प्रस्तुत आवेदनों के संदर्भ में है।

2. सभी प्रकाशकों को एतद्द्वारा सलाह दी जाती है कि जब परिचालन सत्यापन के लिए किसी आवेदन के संबंध में प्रेस सेवा पोर्टल के माध्यम से 'कमियों की सूचना' (डीसी) जारी की जाती है, तब प्रकाशक द्वारा डीसी जारी किए जाने की तिथि से सात (7) दिनों के भीतर अपेक्षित उत्तर/अनुपालन प्रस्तुत किया जाएगा।

3. सात (7) दिनों की अवधि अनुपालन प्रस्तुत करने के लिए विहित समय-सीमा मानी जाएगी। निर्धारित अवधि के भीतर अपेक्षित उत्तर प्रस्तुत करने में चूक होने की स्थिति में, आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।

4. साथ ही, उपर्युक्त आधार पर निरस्त आवेदन उसी वित्तीय वर्ष के दौरान उसी प्रयोजन के लिए पुनः प्रस्तुत करने के लिए पात्र नहीं होगा।

5. अतः प्रकाशकों को सलाह दी जाती है कि वे प्रेस सेवा पोर्टल की नियमित रूप से निगरानी करें और आवेदनों की शीघ्र कार्यवाही और निपटान को सुगम बनाने के लिए अपेक्षित उत्तर/अनुपालन को समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(पामुला रत्नाकर)

उप प्रेस महापंजीयक